



Civil Suit/14/2023

Mod. Kamal Khan Vs. Mod. Rja others

दिनांक ३०.०१.२०२४

पुकार पर पत्रावली प्रस्तुत हुई, वादी जरिये विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र संख्या १४क२ अन्तर्गत आदेश २२ नियम ४ व आदेश ६ नियम १७ जाब्ता दीवानी के निस्तारण पर बल दिया है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र संख्या १४ क २

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादिनी संख्या-११ जब्बारुनिंशा की मृत्यु दिनांक १४.०६.२३ को हो गई है। मृतक के पुत्रगण ऐनुल हक, मो० जियाउल हक व एनो मोहम्मद विधिक उत्तराधिकारी हैं, प्रस्तुत वाद में उक्त ऐनुल हक व मो० जियाउल हक पूर्व से पक्षकार मुकदमा हैं, एनो मोहम्मद को मुकदमे में प्रतिस्थापित किये जाने हेतु संशोधन की अनुमति प्रदान की जाए।

पत्रावली पर प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र के विरुद्ध कोई आपित्त दाखिल नहीं की गयी है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादिनी संख्या-११ जब्बारुनिंशा की मृत्यु दिनांक १४.०६.२३ को होना कहा गया है तथा यह प्रार्थनापत्र दिनांक ०८.०८.२०२३ को प्रस्तुत किया गया है, जो समय सीमा के तहत है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र १५ग२ से समर्थित है। मृतक के वारिसान में उसके पुत्रगण ऐनुल हक व मो० जियाउल हक पूर्व से पक्ष मुकदमा हैं, मुकदमे में मृतका के शेष एक पुत्र एनो मोहम्मद को प्रतिस्थापित किया जाना है। प्रतिवादी की ओर से कोई आपित्त नहीं है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उक्त संशोधन वाद की बहुलता को कम करने के लिए एवं वाद का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु आवश्यक है।

उपर्युक्त अवलोकन के आधार पर प्रार्थना पत्र संख्या १४क२ स्वीकर किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र संख्या १४ क२ स्वीकार किया जाता है। वादी उचित संशोधन अन्दर सप्ताह करना सुनिश्चित करे। पत्रावली दिनांक १३.०३.२०२४ को वास्ते अतिरिक्त जवाबावा पेश हो।

(अनुपम दुबे)

सिविल जज (प्रवर खण्ड),

कुण्डा , प्रतापगढ़